न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2017 नामान्तरकरण अपील

1. मोहनलाल पुत्र रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री नारायण उर्फ श्रीया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम संवास तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी संवास तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 403 वाके ग्राम संवास तहसील सिकराय तस्दीक दिनांक 14.02.2012 द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय

उपस्थिति :– 1. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री पुनीत कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

–:आदेश:– दिनांक 21.03.2018

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि मृतक श्रीनारायण उर्फ श्रीया पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम संवास तहसील सिकराय का रहने वाला था। उसके द्वारा अपने जीवन काल में विवाह नही किया था तथा अपीलान्ट मोहनलाल के पास ही रहता था। उसके द्वारा मोहनलाल का पालन–पोषण किया था तथा अपने बेटे के समान अपीलान्ट को रखा था। उसने गांव के लोगो के सामने मोहनलाल को दत्तक ग्रहण कर रखा था तथा मोहनलाल (अपीलान्ट) की शादी भी उक्त मृतक श्रीनारायण द्वारा की गई थी तथा मृतक श्रीनारायण जब वृद्ध हो गया तो अपीलान्ट ने ही उसकी पुत्रवत् सेवा सुश्रुषा की है। उसके द्वारा दिनांक 24.07.1991 को एक वसीयत पत्र उप पंजीयक सिकराय के यहां पंजीयन करवाया जिसमें मोहनलाल (अपीलान्ट) को अपने मरने के पश्चात चल व अचल सम्पति का वारिस अपनी इच्छा के अनुसार जरिये वसीयत पत्र होने का कथन किया है तथा उक्त पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित की है। जिसके पश्चात उक्त श्रीनारायण अपीलान्ट के पास रहता चला आ रहा था। उसने जीवन काल में अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 93/2 एवं 94/1 वाके ग्राम संवास के हिस्सा 1/2 मोहनलाल (अपीलान्ट) को सम्भला रखी थी तथा अपीलान्ट मृतक श्री नारायण के जीवन काल से ही उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है। श्री नारायण की मृत्यु दिनांक 03.10.2008 हो जाने के पश्चात अपीलान्ट ने नामान्तरकरण श्री नारायण के बजाय स्वयं के नाम खुलवाने की कार्यवाही की तो रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने फर्जी अंतिम इन्छा पत्र श्री नारायण की मृत्यु से एक दिन पहले की तारीख डालकर श्री नारायण के

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

फर्जी हस्ताक्षर कर गुप–चुप रूप से अपने हक में लिख लिया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां एक दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर उक्त आराजी पर स्टे प्राप्त कर लिया। उक्त दावे की जानकारी होने पर अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उक्त फर्जी अंतिम इन्छा की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग महोदय सिकराय में एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 120 बी आई,पी,सी के तहत पेश किया जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त इस्तगासे को अन्तर्गत धारा 157 (3) जा. पो. के तहत पुलिस थाना मानपुर को भिजवा कर रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिये। जिस पर पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस आधारो के सिविल नैचर में एफ आर पेश कर दी। जिस पर अपीलान्ट ने प्रोटेस्ट पिटिशन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। जो मनजूर कर दिनांक 23.09.2011 को एफ आर खोलते हुए पुनः पुलिस थाना मानपुर को उक्त विवादित वसीयत दिनांक 02.10.2008 एवं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वसीयत दिनांक 24.07.1991 को एफ एस एल जांच हेतु भिजवाने के आदेश दिये। किन्तु इसी बीच रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने चालाकी करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर प्रोबेट जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र गुप–चुप रूप से पेश कर दिया। दिनांक 09.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिये तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक में जारी कर दिया। उक्त प्रोबेट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने तहसीलदार सिकराय से मिलकर अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाने की कार्यवाही कर दी। जबकि माननीय न्यायालय ए.डी.जे द्वारा कोई पालना आदेश जारी नही किये थे। फिर भी अपने नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। पूर्व में प्रस्तुत अपील नं0 6/2012 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.3.2014 द्वारा नामा0 अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.3.2012 को यथावत रखते हुये प्रकरण दाखिल दफ्तर किया गया था साथ ही दोनो पक्षों को पाबन्द किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् दोनो ही पक्ष निर्णय की प्रति के साथ इस न्यायालय को सूचित करेंगे एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाजदायरी स्वीकार होकर उक्त अपील पुनः नम्बर पर ली गयी। तत्पश्चात् अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा ग्राम संवास स्थित प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नं. 93/2, 94/1 के हिस्सा 1/2 के खातेदार श्रीनारायण की मृत्यु दिनांक 03.10.2008 से एक दिवस पूर्व फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त फर्जी वसीयत का न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई से प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 09.01.2012 जारी करवाया जाकर उक्त प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 403 दिनांक 14.02.2012 तहसीलदार सिकराय द्वारा तस्दीक करवा लिया। उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त योग्य है। मृतक श्रीनारायण द्वारा दिनांक 24.07.1991 को ही अपीलान्ट के हक में एक वसीयत पत्र उपपंजीयक सिकराय के यहां पंजीयन करवाया था। उक्त पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित की गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के न्यायालय से दिनांक 09.01.2012 को जारी किये गये प्रोबेट प्रमाण पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नही कर, अपने निर्णय

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

दिनांक 08.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रिवॉक करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 14.02.2012 ग्राम संवास तहसील सिकराय जिला दौसा को निरस्त फरमावे अथवा प्रकरण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई में विचाराधीन होने से कार्यवाही स्थगित फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नही कर, अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रिवॉक करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। किन्तु प्रकरण में वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित नहीं है। अपीलांट द्वारा मात्र प्रकरण में देरी करने की वजह से उक्त तथ्य को बार–बार दोहराया जा रहा है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई द्वारा प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण खोला गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा दिनांक 09.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 09.01.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक में जारी करने पर उक्त प्रोबेट के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक में प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 403 दिनांक 14.2.2012 ग्राम संवास तहसील सिकराय तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाये जाने से अपील स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 403 दिनांक 14.2.2012 ग्राम संवास तहसील सिकराय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.3.2012 भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(संजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(संजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा